

उत्तर प्रदेश शासन
लोक निर्माण अनुभाग-4
संख्या-3329/23-4-14-16 एनजी/14
लखनऊ: दिनांक: 01 जनवरी, 2015

दिनांक 01 जनवरी, 2015 को प्रख्यापित "उत्तर प्रदेश, लोक निर्माण विभाग अवर अभियन्ता (विद्युत) (ग्रुप 'सी') सेवा नियमावली, 2014" की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन।
- 2- प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, (नियमावली कोष्ठक) उ०प्र० शासन।
- 3- सचिव, लोक सेवा आयोग, उ०प्र० इलाहाबाद।
- 4- प्रमुख अभियन्ता (विकास एवं विभागाध्यक्ष) लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
- 5- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ऐशबाबा लखनऊ को असाधारण गजट दिनांक 01 जनवरी, 2015 के विधायी परिशिष्ट, भाग-4, खण्ड (क), (सामान्य परिनियम नियम) में प्रकाशनार्थ इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त की 1000 मुद्रित प्रतियां लोक निर्माण अनुभाग-4 को तत्काल उपलब्ध करा दें।
- 6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(कुलदीप एन० अवस्थी)
विशेष सचिव।

5/1/15
प्रमुख अभियन्ता (विकास)
एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग लखनऊ

कैम्प-प्र०अभि०(परि०नियो०)
खयरी सं० 44200 दिनांक 05/01/2015

SSO(E-2)
we.

जी चौरासिया

06/01/15

OML
7/1

5.1.15
कैम्प-प्र०अभि०(परि०नियो०)

उत्तर प्रदेश सरकार
लोक निर्माण विभाग (अनुभाग-4)
संख्या-3329/23-4-2014-16 एनजी/2014
लखनऊ: दिनांक: 01.01.2015

अधिसूचना
प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अधिकमण करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, लोक निर्माण विभाग अवर अभियन्ता (विद्युत) (समूह 'ग') सेवा में भर्ती और इसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तर प्रदेश, लोक निर्माण विभाग
अवर अभियन्ता (विद्युत) (समूह 'ग') सेवा नियमावली, 2014

भाग-एक-सामान्य

- | | | |
|------------------------------|---|---|
| संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ | 1 | (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश, लोक निर्माण विभाग अवर अभियन्ता (विद्युत) (समूह 'ग') सेवा नियमावली, 2014 कही जायेगी। (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी। |
| सेवा की प्रास्थिति | 2 | उत्तर प्रदेश, लोक निर्माण विभाग अवर अभियन्ता (विद्युत) (समूह 'ग') सेवा एक ऐसी सेवा है, जिसमें समूह "ग" के पद समाविष्ट है। |
| परिभाषायें | 3 | जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में :- (क) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश, लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 से है; (ख) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य प्रमुख अभियन्ता, उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग से है; (ग) "भारत का नागरिक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाये; (घ) "आयोग" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश, लोक सेवा आयोग से है; (ङ) "संविधान" का तात्पर्य भारत के संविधान से है; (च) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है; (छ) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है; (ज) "सेवा का सदस्य" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है; |

- (झ) नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों का तात्पर्य समय-समय पर यथासंशोधित अधिनियम की अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है;
- (ञ) "सेवा" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश, लोक निर्माण विभाग अवर अभियन्ता (विद्युत) (समूह "ग") सेवा से है;
- (ट) "मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है, तो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गयी हो और यदि कोई नियम न हो, तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई हो;
- (ठ) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग-दो-संवर्ग

- सेवा का संवर्ग 4 (1) सेवा की सदस्य संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय;
- (2) जबतक कि उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जाय, सेवा की सदस्य संख्या निम्नवत होगी;

| पद का नाम | पदों की संख्या | | |
|------------------------|----------------|---------|-----|
| | स्थायी | अस्थायी | योग |
| अवर अभियन्ता (विद्युत) | 236 | 86 | 322 |

परन्तु यह कि :-

- (एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा, या
- (दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जैसा वह उचित समझें।

भाग-तीन-भर्ती

- भर्ती का स्रोत 5 सेवा में अवर अभियन्ता (विद्युत) के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी :-
- (एक) पञ्चानबे प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।
- (दो) पांच प्रतिशत विभाग, में मौलिक रूप से नियुक्त समूह "ग" के कर्मचारियों में से, जिन्होंने विभाग से अनुज्ञा प्राप्त करने के

पश्चात् नियम 8 में विहित अर्हताएं अर्जित की हों और भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को दस वर्ष की मौलिक सेवा पूर्ण कर ली हो, पदोन्नति द्वारा आयोग के माध्यम से।

टिप्पणी :-अवर अभियन्ता (विद्युत) के पद पर पदोन्नति के लिए संयुक्त पात्रता सूची निम्नलिखित मानकों के अनुसार तैयार की जायेगी:-

- (एक) ऐसा अभ्यर्थी, जिसने पूर्वतर शैक्षणिक सत्र में विहित डिप्लोमा उत्तीर्ण किया हो, पात्रता सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा;
- (दो) यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों ने विहित डिप्लोमा समान शैक्षणिक सत्र में उत्तीर्ण किया हो तो ऐसा अभ्यर्थी, जिसकी मौलिक नियुक्ति का दिनांक उसके संवर्ग में पूर्वतर हो, पात्रता सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा;
- (तीन) यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों की मौलिक नियुक्ति का दिनांक भी एक समान हो जाय तो ऐसा अभ्यर्थी जिसकी अधिवर्षिता का दिनांक पूर्वतर हो, को पात्रता सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा।

- आरक्षण 6 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण समय-समय पर यथासंशोधित अधिनियम और उत्तर प्रदेश, लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 और भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग-चार-अर्हतायें

- राष्ट्रीयता 7 सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी :-

- (क) भारत का नागरिक हो, या
- (ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी 1962 से पूर्व भारत आया हो, या
- (ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, वर्मा श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केनिया, युगांडा और यूनाईटेड रिपब्लिक आफ तंजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो;

परन्तु यह कि उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो;

परन्तु यह कि, श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उपहानिरीक्षक, अभिसूचना

शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले;

परन्तु यह भी कि, यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी :- ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, किन्तु जिसे न तो जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि, आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

- | | | |
|---------------------|----|--|
| शैक्षिक अर्हताए | 8 | सेवा में पदों पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की निम्नलिखित अर्हताए होनी आवश्यक है :- (एक) माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाईस्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण किया हो। (दो) प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश से विद्युत अभियांत्रिकी में तीन वर्षीय डिप्लोमा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता होनी आवश्यक है। |
| अधिमान्नी अर्हता | 9 | अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने :- (एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक की सेवा की हो, या (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। |
| आयु | 10 | सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि, अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई को जिसमें रिक्तियों आयोग द्वारा सीधी भर्ती के लिए विज्ञापित की जाय, 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो: |

परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाये, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय

- | | | |
|--------|----|--|
| चरित्र | 11 | सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिये कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस संबंध में अपना समाधान कर लेगा। |
|--------|----|--|

टिप्पणी :- संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या संघ

सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिये दोषसिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

वैवाहिक 12 प्रास्थिति 12 सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा, जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक जीवित पत्नी हो:

परन्तु यह कि सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण विद्यमान हैं।

शारीरिक 13 स्वस्थता 13 किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अंतिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड—दो भाग—तीन के अध्याय तीन में दिये गये मूल नियम 10 के अधीन बनाए गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करे :

परन्तु यह कि पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण—पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

भाग—पांच—भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों 14 का अवधारण 14 नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या के साथ-साथ नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या को अवधारित करेगा और आयोग को सूचित करेगा।

सीधी भर्ती 15 की प्रक्रिया 15 अवर अभियन्ता (विद्युत) के पदों पर सीधी भर्ती उत्तर प्रदेश अवर अभियन्ता संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा नियमावली, 2014 के अनुसार की जायेगी।

पदोन्नति 16 द्वारा भर्ती की प्रक्रिया 16 पदोन्नति द्वारा भर्ती "अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता" के आधार पर समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश, लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 1970 के अनुसार की जायेगी।

संयुक्त 17 चयन सूची 17 यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियों सीधी भर्ती द्वारा और पदोन्नति दोनों द्वारा की जाय तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायेगी जिसमें सुसंगत सूचियों से अभ्यर्थियों के नाम इस

रीति से लेकर रखें जायेंगे कि विहित प्रतिशत बना रहें, सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का रहेगा।

भाग-छ: नियुक्ति परीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

- नियुक्ति 18 (1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, नियुक्ति प्राधिकारी, अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर, जिसमें यथास्थिति नियम-15,16 या 17 के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हों, नियुक्तियाँ करेगा।
- (2) जहाँ भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जानी हों, तो नियमित नियुक्तियाँ तब तक नहीं की जायेंगी जब तक कि दोनों स्रोतों से चयन न कर दिया जाय और नियम 17 के अनुसार एक संयुक्त सूची न तैयार कर ली जाय।
- (3) यदि किसी एक चयन के संबंध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जाय तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख उसी ज्येष्ठता के क्रम में किया जायेगा जैसा कि यथास्थिति, चयन में अवधारित किया गया हो या जैसी कि उस संवर्ग में हो जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया हो। यदि नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जाय, तो नामों को नियम 17 में निर्दिष्ट क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जायेगा।
- परीक्षा 19 (1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने पर किसी व्यक्ति को उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक परीक्षा नियमावली, 2013 के अनुसार परीक्षा पर रखा जायेगा।
- (2) यदि परीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अंत में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या सन्तोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।
- (3) ऐसा परीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (2) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाये या जिसकी सेवायें समाप्त की जाय किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।
- (4) नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गई निरन्तर सेवा को परीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।
- स्थायीकरण 20 (1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, किसी परीक्षाधीन व्यक्ति को परीक्षा अवधि या बढ़ायी गई परीक्षा अवधि के अंत

- में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि;
- (क) उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक बताया जाय;
- (ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय, और
- (ग) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायी किए जाने के लिए अन्यथा उपयुक्त है।
- (2) जहाँ उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवको की स्थायीकरण नियमावली, 1991 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है, वहाँ उस नियमावली के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन यह घोषणा करते हुये आदेश को, कि सम्बंधित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।
- ज्येष्ठता 21 सेवा में मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

भाग-सात-वेतन इत्यादि

- वेतनमान 22 (1) सेवा में किसी श्रेणी के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा, जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जायेगा।
- (2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान ग्रेड वेतन रु0 4200 के साथ वेतन बैंड-2 (रु0 9300-34800) है।
- परिवीक्षा अवधि में वेतन 23 (1) फण्डामेन्टल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुये भी, परीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, और जहाँ विहित हो, प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो, और द्वितीय वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो :
- परन्तु यह कि यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ाई गयी अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिए नहीं की जायेगी जबतक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे।
- (2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत फण्डामेन्टल रूल्स द्वारा विनियमित होगा;


परन्तु यह कि यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ाई गयी अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिए नहीं की जायेगी जबतक

कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे।

- (3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलापों के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग-आठ अन्य उपबन्ध

- पक्ष समर्थन 24 किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्ही सिफारिशों पर, चाहें लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा।
- अन्य विषयों 25 का विनियमन ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा शासित होंगे।
- सेवा की 26 शर्तों में शिथिलता जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि, सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में असम्यक कठिनाई होती है वहाँ, उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुये भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है :
- परन्तु यह कि जहाँ कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया हो वहाँ ऐसे नियम की अपेक्षाओं को अभिमुक्त या शिथिल करने से पूर्व उस निकाय से परामर्श किया जायेगा।
- व्यावृत्ति 27 इस नियमावली से किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा जिसका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से,

 (किशन सिंह अटोरिया)
 प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. ~~3329~~ 29/23-4-2014-16NG/2014, dated...~~01.01~~ 2015

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

PUBLIC WORKS DEPARTMENT,

(SECTION-4)

NOTIFICATION

Miscellaneous

No. ~~3329~~ 29/23-4-2014-16NG/2014

01.01.2015
Dated Lucknow,.....July, 2014

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules regulating recruitment and the conditions of service of persons appointed to the Uttar Pradesh Public Works Department Junior Engineer (Electrical) (Group-'C') Service :

THE UTTAR PRADESH PUBLIC WORKS DEPARTMENT JUNIOR
ENGINEER (ELECTRICAL) (GROUP-'C') SERVICE RULES, 2014

PART-I - GENERAL

- | | | |
|-------------------------------------|-----|---|
| Short title and commencement | 1. | (1) These rules may be called The Uttar Pradesh Public Works Department Junior Engineer (Electrical) (Group-'C') Service Rules, 2014. |
| | (2) | They shall come into force at once. |
| Status of the service | 2. | The Uttar Pradesh Public Works Department Junior Engineer (Electrical) (Group 'C') Service is a Service comprising Group 'C' posts. |
| Definitions | 3. | In these rules, unless there is anything repugnant |

in the subject or context:

(a) 'Act' means the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994;

(b) 'appointing authority' means the Engineer-in-Chief, Uttar Pradesh Public Works Department;

(c) 'citizen of India' means a person who is or is deemed to be a citizen of India under Part II of the Constitution;

(d) 'Commission' means the Uttar Pradesh Public Service Commission;

(e) 'Constitution' means the Constitution of India;

(f) 'Government' means the State Government of Uttar Pradesh;

(g) 'Governor' means the Governor of Uttar Pradesh;

(h) 'member of the service' means a person substantively appointed under these rules or the rules or orders in force prior to the commencement of these rules to a post in the cadre of the service;

(i) 'other backward classes of citizens' means the backward classes of citizens specified in Schedule I of the Act, as amended from time to time;

(j) 'Service' means the Uttar Pradesh Public Works Department Junior Engineer (Electrical) (Group 'C') Service;

(k) 'substantive appointment' means an appointment, not being an adhoc appointment, on a post in the cadre of the service, made after selection in accordance with the rules and, if there were no rules, in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instructions issued by the Government;

(l) 'year of recruitment' means a period of twelve months commencing on the first day of July of a calendar year.

PART – II- CADRE**Cadre of Service**

4. (1) The strength of the service shall be such as may be determined by the Government from time to time.
- (2) The strength of the service shall, until orders varying the same are passed under sub-rule(1), be as given below:

| Name of post | Number of posts | | |
|------------------------------|-----------------|-----------|-------|
| | Permanent | Temporary | Total |
| Junior Engineer (Electrical) | 236 | 86 | 322 |

Provided that:-

- (i) the appointing authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post, without thereby entitling any person to compensation; or
- (ii) the Governor may create such additional permanent or temporary posts as he may consider proper.

PART – III - RECRUITMENT**Source of recruitment**

5. Recruitment to the posts of Junior Engineer (Electrical) in the Service shall be made from the following sources:
- (i) Ninety five percent by direct recruitment through the Commission.
- (ii) Five percent by promotion through the Commission from amongst such substantively appointed Group 'C' employees of the Department who, after obtaining the permission from the Department, have acquired the qualifications as prescribed in rule 8 and have completed ten years substantive service in the Department on the first day of the year of recruitment.

NOTE- The combined eligibility list for promotion on the post of Junior Engineer (Electrical) will be made as per the following norms:-

- (i) The candidate who has passed the prescribed

Diploma in earlier academic session shall be placed higher in the eligibility list,

(ii) If two or more candidate have passed the prescribed Diploma in the same academic session, the candidate whose date of substantive appointment is his respective cadre in earlier shall be placed higher in the eligibility list,

(iii) If the date of substantive appointment of two or more candidates also happens to be the same, the candidate whose date of superannuation is earlier shall be placed higher in the eligibility list.

- Reservation** 6. Reservation for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories shall be in accordance with the Act, and the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex-Servicemen) Act, 1993, as amended from time to time, and the orders of the Government in force at the time of the recruitment.

PART – IV- QUALIFICATIONS

- Nationality** 7. A candidate for direct recruitment to a post in the service must be:
- (a) a citizen of India; or
 - (b) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India; or
 - (c) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, or any of the East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India:

Provided that a candidate belonging to category (b) or (c) above must be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the State Government:

Provided further that a candidate belonging to

category (b) will also be required to obtain a certificate of eligibility granted by the Deputy Inspector General of Police, Intelligence Branch, Uttar Pradesh:

Provided also that if a candidate belongs to category (C) above, no certificate of eligibility will be issued for a period of more than one year and the retention of such a candidate in service beyond a period of one year, shall be subject to his acquiring Indian citizenship.

NOTE - A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor refused, may be admitted to an examination or interview and he may also be provisionally appointed subject to the necessary certificate being obtained by him or issued in his favour.

**Academic
qualification**

8. A candidate for direct recruitment to the posts in the service must possess following qualifications:
- (i) must have passed the High School Examination of the Board of high school and intermediate Education, Uttar Pradesh or an Examination recognised by the Government as equivalent thereto.
 - (ii) must possess three years Diploma in Electrical Engineering from the Board of Technical Education, Uttar Pradesh or a qualification recognised by the Government as equivalent thereto.

**Preferential
qualification**

9. A candidate who has :
- (i) served in the Territorial Army for a minimum period of two years, or
 - (ii) obtained a 'B' certificate of the National Cadet Corps,

shall, other things being equal, be given preference in the matter of direct recruitment.

Age 10.

A candidate for direct recruitment must have attained the age of 18 years and must not have attained the age of more than 40 years on the first day of July of the calendar year in which vacancies for direct recruitment are advertised by the Commission:

Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and such other categories as may be notified by the Government from time to time shall be greater by such number of years as may be specified.

Character 11.

The character of a candidate for direct recruitment to a post in the service must be such as to render him suitable in all respects for employment in Government service. The appointing authority shall satisfy itself on this point.

NOTE - Persons dismissed by the Union Government or a State Government or by a Local Authority or a Corporation or Body owned or controlled by the Union Government or a State Government shall be ineligible for appointment to a post in the service. Persons convicted of an offence involving moral turpitude shall also be ineligible.

Marital Status 12.

A male candidate who has more than one wife living or a female candidate who has married a man already having a wife living shall not be eligible for appointment to a post in the service :

Provided that the Government may, if satisfied that there exist special grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

Physical fitness 13.

No candidate shall be appointed to a post in the service unless he be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties. Before a candidate is finally approved for appointment, he shall be required to produce a Medical Certificate of fitness in accordance with the rules framed under Fundamental rules 10,

contained in chapter III of the Financial Hand-Book, Volume-II, Part III :

Provided that a medical certificate of fitness shall not be required from a candidate recruited by promotion.

PART-V - PROCEDURE FOR RECRUITMENT

- | | | |
|---|-----|--|
| Determination of vacancies | 14. | The appointing authority shall determine and intimate to the Commission the number of vacancies to be filled during the course of the year of recruitment as also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to Scheduled castes, Scheduled Tribes and other categories under rule-6. |
| Procedure for direct recruitment | 15. | Direct Recruitment to the posts of Junior Engineer (Electrical) shall be made in accordance with the Uttar Pradesh Junior Engineer's combined competitive Examination Rules, 2014. |
| Procedure for recruitment by promotion | 16. | Recruitment by promotion shall be made on the basis of seniority subject to the rejection of the unfit in accordance with the Uttar Pradesh Promotion by Selection in Consultation with Public Service Commission (Procedure) Rules, 1970, as amended from time to time. |
| Combined select list | 17. | If in any year of recruitment appointments are made both by direct recruitment and by promotion, a combined select list shall be prepared by taking the names of the candidates from the relevant lists, in such manner that the prescribed percentage is maintained, the first name in the list being of the person appointed by promotion. |

PART-VI - APPOINTMENT, PROBATION, CONFIRMATION AND SENIORITY

- | | | |
|--------------------|-----|---|
| Appointment | 18. | (1) Subject to the provisions of sub-rule (2), the appointing authority shall make appointment by taking the names of candidates in the order in which they stand in the lists prepared under rules 15, 16 or 17, as the case may be. |
| | | (2) Where, in any year of recruitment, appointments |

are to be made both by direct recruitment and by promotion, regular appointments shall not be made unless selections are made from both the sources and a combined list is prepared in accordance with rule 17.

- (3) If more than one order of appointment are issued in respect of any one selection, a combined order shall also be issued, mentioning the names of the persons in order of seniority as determined in the selection or, as the case may be, as it stood in the cadre from which they are promoted. If the appointments are made both by direct recruitment and by promotion, names shall be arranged in accordance with the order, referred to in rule 17.

Probation

19. (1) A person on substantive appointment to a post in the service shall be placed on probation in accordance with the Uttar Pradesh Government Servants Probation Rules, 2013.
- (2) If it appears to the appointing authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, he may be reverted to his substantive post, if any, and if he does not hold a lien on any post, his services may be dispensed with.
- (3) A probationer who is reverted or whose services are dispensed with under sub-rule (2) shall not be entitled to any compensation.
- (4) The appointing authority may allow continuous service, rendered in an officiating or temporary capacity in a post included in the cadre or any other equivalent or higher post, to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.

Confirmation

20. (1) Subject to the provisions of sub-rule (2), a probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or the

extended period of probation if-

(a) his work and conduct is reported to be satisfactory,

(b) his integrity is certified, and

(c) the appointing authority is satisfied that he is otherwise fit for confirmation.

- (2) Where, in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh State Government Servants Confirmation Rules, 1991, confirmation is not necessary, the order under sub-rule (3) of rule 5 of those rules declaring that the person concerned has successfully completed the probation shall be deemed to be the order of confirmation.

- | | | |
|------------------|-----|--|
| Seniority | 21. | The seniority of persons substantively appointed to the posts in the service shall be determined in accordance with the Uttar Pradesh Government Servants Seniority Rules, 1991, as amended from time to time. |
|------------------|-----|--|

PART-VII - PAY ETC.

- | | | |
|---------------------|-----|--|
| Scale of pay | 22. | (1) The scale of pay admissible to persons appointed to the posts in the service shall be such as may be determined by the Government from time to time. |
| | | (2) The scale of pay at the time of the commencement of these rules is Pay Band-2 (Rs. 9300-34800) with Grade pay Rs. 4200. |

- | | | |
|-----------------------------|-----|---|
| Pay during probation | 23. | (1) Notwithstanding any provision in the Fundamental Rules to the contrary, a person on probation, if he is not already in permanent Government Service, shall be allowed his first increment in the time-scale when he has completed one year of satisfactory service, has passed departmental examination and undergone training, where prescribed, and second increment after two years service when he has completed the probationary period and is also confirmed. |
|-----------------------------|-----|---|

Provided that, if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction,

such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.

- (2) The pay during probation of a person who was already holding a post under the Government, shall be regulated by the relevant fundamental rules :

Provided that, if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.

- (3) The pay during probation of a person already in permanent Government service shall be regulated by the relevant rules, applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the state.

PART-VIII - OTHER PROVISIONS

- | | | |
|--|-----|---|
| Canvassing | 24. | No recommendations, either written or oral, other than those required under the rules applicable to the post or service will be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature will disqualify him for appointment. |
| Regulation of other matters | 25. | In regard to the matters not specifically covered by these rules or special orders, persons appointed to the service shall be governed by the rules, regulations and orders applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State. |
| Relaxation from the conditions of service | 26. | Where the State Government is satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of service of persons appointed to the service causes undue hardship in any particular case, it may, notwithstanding anything contained in the rules applicable to the case, by order, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and |

equitable manner:

Provided that where a rule has been framed in consultation with the Commission, that body shall be consulted before the requirements of the rule are dispensed with or relaxed.

Savings

27.

Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders of the Government issued from time to time in this regard.

By order,



(Kishan Singh Atoria)
Principal Secretary.